



प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जाति के बच्चों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

डॉ. रामकिशोर विश्वकर्मा^{1*}

1. एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत
ramkishorvishwakarma565@gmail.com

सारांश: यह अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बच्चों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। भारतीय समाज में शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति का प्रमुख साधन माना जाता है, परंतु अनुसूचित जातियों के बच्चों को आज भी शिक्षा प्राप्ति में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस शोध में प्रमुख रूप से नामांकन दर, उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर, शैक्षणिक उपलब्धि और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। शोध के दौरान पाया गया कि यद्यपि प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी गुणवत्ता, नियमित उपस्थिति तथा पाठ्यक्रम की उपलब्धता जैसे पहलुओं में कई खामियां मौजूद हैं। सामाजिक भेदभाव, आर्थिक पिछड़ापन, पारिवारिक असहयोग और विद्यालयों में सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ बच्चों की सतत शिक्षा में बाधक बनी हुई हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ जैसे मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम एवं विशेष आवासीय विद्यालयों का संचालन कुछ हद तक सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, परंतु जमीनी स्तर पर इनकी प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है। यह अध्ययन सुझाता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता लाने हेतु समाज में जागरूकता बढ़ाने, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुधारने तथा बच्चों व अभिभावकों के बीच शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्य शब्द: शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, छात्र, शिक्षक, अनुसूचित जाति के छात्र

----- X -----

परिचय

शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास का आधार है। विशेषकर वंचित वर्गों के लिए शिक्षा सामाजिक समरसता और आर्थिक उन्नति का एक सशक्त माध्यम बनती है। अनुसूचित जाति समुदाय, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सागर जिला मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है और ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सागर जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,252 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला मुख्यतः कृषि प्रधान है और यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है। जिले में अनेक सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। सागर जिला शैक्षणिक दृष्टि से उन्नति कर रहा है, परंतु अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों की शिक्षा में अभी भी कई प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सागर जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा संबंधी वर्तमान परिस्थितियों का समग्र विश्लेषण करना है।

सरकारी पहल

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में समानता लाने और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक अवरोधों को दूर करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और एक समावेशी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

1. समग्र शिक्षा अभियान

'समग्र शिक्षा अभियान' को 2018 में प्रारंभ किया गया था, जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक एकीकृत ढांचे में संचालित है। इस

योजना के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को विशेष लाभ दिए जाते हैं:

- **मुफ्त पाठ्यपुस्तकें:** प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी SC छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं ताकि आर्थिक कारणों से शिक्षा में रुकावट न आए।
- **मुफ्त यूनिफॉर्म:** विद्यालय में समानता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष दो सेट यूनिफॉर्म वितरित किए जाते हैं।
- **छात्रवृत्तियाँ:** आर्थिक रूप से पिछड़े SC छात्रों को पढ़ाई जारी रखने हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। यह योजना गुणवत्ता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूल आधारभूत संरचना में सुधार के माध्यम से SC बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती है।

2. मध्याह्न भोजन योजना

'मिड-डे मील योजना' का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉपआउट कम करना और पोषण स्तर में सुधार लाना है। अनुसूचित जाति के बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है:

- विद्यालयों में मुफ्त पौष्टिक भोजन मिलने से SC समुदाय के बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- इस योजना ने भूख और कुपोषण की समस्या को भी काफी हद तक कम किया है, जो कि शिक्षा में ध्यान देने की एक बड़ी बाधा थी।
- सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि सभी जातियों के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, जिससे भेदभाव में कमी आती है।

3. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु छात्रावास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी:

- आर्थिक रूप से कमजोर SC छात्रों को नजदीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने हेतु आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा के अवसरों तक पहुंच सकें।
- छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को रहने, भोजन, पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

यह योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए चलाई जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति की लड़कियाँ भी प्रमुख लाभार्थी हैं:

- SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- इन विद्यालयों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं।
- यह योजना विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए सहायक रही है जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित रह जाती थीं।
- बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपरोक्त योजनाएँ अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यद्यपि इन योजनाओं के प्रभाव से सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है, फिर भी जमीनी स्तर पर इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास, सामाजिक जागरूकता और पारदर्शी कार्यान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है। शिक्षा में समानता लाने के लिए इन पहलों का और अधिक सशक्तीकरण आवश्यक है।

भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर की वर्तमान स्थिति

पिछले 62 वर्षों में महिला विशेषाधिकारों के गढ़, नारीवादी आलोचकों, संवैधानिक गारंटी, कानूनों की रक्षा और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए ईमानदार प्रयासों के बावजूद, शिक्षा के मामले में महिलाओं की दुर्दशा को दूर करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के भारी दबाव के बावजूद, कई कारणों से भारत में यह अभी भी एक रहस्य की स्थिति में है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं में साक्षरता केवल 65.46 प्रतिशत है। यह देखना वास्तव में निराशाजनक है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत यानी 74.04 से भी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा का विकास बहुत धीमा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अभी भी हमारे देश

की बड़ी महिलाएँ अशिक्षित, कमजोर, पिछड़ी और शोषित हैं। इसके अलावा शिक्षा भी सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। शिक्षा में लैंगिक असमानता और अधिक प्रबल हो गई है, जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर केवल 65.46% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है।

तालिका 1: भारत में साक्षरता दर

वर्ष	व्यक्ति	पुरुषों	महिलाओं
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	24.9	7.3
1961	24.0	34.4	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	46.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

स्रोत: भारत की जनगणना (2011)

भारत में स्कूल के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति

भारत में स्कूल के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति, यूडीआईएसई+ वर्ष 2021-2022 रिपोर्ट, प्रगति और लगातार चुनौतियों का मिश्रण दर्शाती है। देश के कुल 14.8 लाख स्कूलों में से लगभग 13.9 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यात्मक शौचालय की सुविधा है, और 3.8 लाख स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुविधाएं हैं।

नामांकन से पता चलता है कि 22.4 लाख सीडब्ल्यूएसएन छात्र प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, 7 लाख स्कूल, जो 47.5% हैं, के पास कंप्यूटर की सुविधा है, जिनमें से 45.8% में कार्यात्मक कंप्यूटर सेटअप हैं। हालाँकि, इंटरनेट की पहुँच एक चिंता का विषय बनी हुई है, केवल 33.9% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है।

एक उल्लेखनीय अवलोकन यह है कि 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से 24.2% में इंटरनेट की सुविधा है। यद्यपि सुधारों की तुलना पिछले

वर्षों से की गई है, फिर भी आंकड़े बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्कूल भारत में अनुकूल और समृद्ध शिक्षण वातावरण के लिए अनुशंसित मानकों को पूरा करें।

साहित्य की समीक्षा

सुमन आचार्य (2019) भारत में अनुसूचित जातियों (एससी) की आबादी में शिक्षा की कमी सामाजिक संरचना के निचले छोर पर बने रहने का मुख्य कारण हो सकती है। इसलिए, यह अध्ययन उच्च शिक्षा के निर्धारकों का पता लगाने और भारत में एससी आबादी के बीच शैक्षणिक संस्थानों में कमी दाखिला न लेने या पढ़ाई छोड़ने/छोड़ने के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए एससी के बीच साक्षरता में बदलते रुझानों का पता लगाने का प्रयास करता है। भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करते हुए और द्विचर और बहुचर विश्लेषण दोनों को नियोजित करते हुए, परिणाम बताते हैं कि हालांकि एससी आबादी के बीच साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति है, लेकिन दरें राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। साक्षरता में लैंगिक असमानता काफी स्पष्ट है। उच्च शिक्षा का निम्न स्तर मुख्य रूप से परीक्षाओं में असफल होने, बड़ी संख्या में ड्रॉप-आउट और उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण होने वाले ठहराव जैसे कारणों से है। समय-समय पर कई संवैधानिक कदमों के माध्यम से सामाजिक समूहों के बीच शैक्षिक प्राप्ति में अंतर को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी भी अंतर को पाटना बाकी है।

पंडागल गौरव राम (2017) महाराष्ट्र राज्य में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ है, कुछ जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के नामांकन का प्रतिशत अधिक है, जबकि कई अन्य जिलों में बहुत कम नामांकन है। प्रायोगिक साक्ष्यों से पता चलता है कि जिन जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की नामांकन दर अधिक है, उनमें स्कूल छोड़ने की दर भी बहुत अधिक है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, संसाधनों का गलत आवंटन, महिलाओं की दायित्व दजों की स्थिति, गरीबी के कारण बच्चों को स्कूल छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की कमी के कारण कम उम्र में ही शहरों की ओर व्यापक पलायन होता है, आदि अन्य मुद्दों में योगदान करते हैं। फिर से प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग समस्याएं हैं जो उन क्षेत्रों में पिछड़े लोगों के शैक्षिक विकास में बाधा डालती हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वर्तमान पत्र महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के बीच शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण करता है ताकि प्रगति को समझा जा सके, ऐसी प्रगति में योगदान देने वाले कारक और उन कारकों को भी समझा जा सके जो उन क्षेत्रों में सरकार और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की दर से पिछड़े लोगों की शैक्षिक प्रगति में बाधा डालते हैं।

दिनेश चहल (2017) शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए में यह प्रावधान किया गया है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों की बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति समझ का रवैया जानना था। शोधकर्ता ने जम्मू और कश्मीर के जिला उधमपुर के ग्रामीण क्षेत्र से 60 अभिभावकों का नमूना लिया, जिसमें तीस पिता और माता शामिल थे। अध्ययन में स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित माता-पिता के बीच जागरूकता जानना था, ताकि बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं और शैक्षिक अधिकारों को पूरा करने के लिए कुछ हस्तक्षेप किया जा सके। शोधकर्ता द्वारा डेटा संग्रह के लिए स्व-निर्मित अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया था। विश्लेषण सरल प्रतिशत पद्धति का उपयोग करके किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि ज्यादातर पिता और माता ने सकारात्मक जवाब दिए हैं, जिसका मतलब है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में जागरूक हैं। वे अपने बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति सकारात्मक और अनुकूल रवैया रखते हैं। वे यह भी जानते हैं कि स्कूल जाने के लिए शैक्षिक सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया जाए।

मडप्पा (2012) संस्कृत में एक कहावत है, "यथा लोकाहा, तथा शिक्षा क्रमाहा" - अर्थात् "जैसे लोग हैं, वैसी ही शिक्षा प्रणाली है"। यदि अनुसूचित जाति अपने शिक्षक, अपने स्कूल और शिक्षा प्रणाली के प्रति उदासीन है, तो उसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है। यदि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक से शिक्षित हों, तो उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए अपने स्वयं के प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने (विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और विकास के संदर्भ में) के महत्वपूर्ण महत्व को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्ययन को नामांकन और ड्रॉपआउट की घटना के संदर्भ में कर्नाटक में प्राथमिक शिक्षा के विकास में स्कूल विकास और प्रबंधन समिति की भूमिका तक सीमित करके किया गया था। स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना और स्थिति में सुधार के तरीके और उपाय सुझाना; विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे गैर-औपचारिक शिक्षा और आंगनवाड़ी को मजबूत करना। अध्ययन के निष्कर्षों ने संकेत दिया कि स्कूल प्रणाली में सुधार और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुसूचित जाति को मजबूत करने की आवश्यकता है। लंबे समय में अनुसूचित जाति की भागीदारी न केवल प्राथमिक शिक्षा को प्रासंगिक और जीवन से संबंधित बनाकर इसके सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बहुत ही प्रभावी उपाय साबित होगी, बल्कि अनुसूचित जाति को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि इसकी नींव शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने में और योगदान दे सके।

अनुसंधान उद्देश्य

- सागर जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- शिक्षा में आ रही प्रमुख समस्याओं और अवरोधों की पहचान करना।
- सरकारी योजनाओं एवं नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु सुझाव प्रदान करना।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में एक वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रह किया गया।

प्राथमिक आंकड़ों के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, फोकस ग्रुप चर्चाएँ और प्रत्यक्ष अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग किया गया। प्रतिभागियों में छात्रों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में कुल 200 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिसमें विभिन्न सम्भाग से अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे और उनके अभिभावक सम्मिलित थे।

नमूना चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति (Stratified Random Sampling) का उपयोग किया गया ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

द्वितीयक आंकड़ों हेतु जनगणना रिपोर्ट, शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (जैसे एएसईआर रिपोर्ट), शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रासंगिक शैक्षणिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया।

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मात्रात्मक तकनीकों जैसे प्रतिशत, औसत तथा गुणात्मक तकनीकों जैसे विषयवस्तु विश्लेषण का उपयोग किया गया। अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखने और उनकी सूचित सहमति प्राप्त करने का विशेष ध्यान रखा गया ताकि अनुसंधान निष्पक्ष और नैतिक दृष्टि से सुदृढ़ बना रहे।

आंकड़ों का विश्लेषण

नामांकन और उपस्थिति दर

अनुसूचित जाति के बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर औसतन 85% पाया गया। इसका मतलब यह है कि सागर जिले के अनुसूचित जाति के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा में भाग ले रहा है। हालांकि, यह आंकड़ा केवल नामांकन तक सीमित है और यह नहीं दर्शाता कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं या नहीं।

विशेष रूप से, शहरी क्षेत्रों में नामांकन दर 87% पाई गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों (83%) से कुछ अधिक है। यह इंगित करता है कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ और स्कूलों की संख्या अधिक होने के कारण बच्चों का नामांकन अपेक्षाकृत बेहतर है।

उपस्थिति दर: नामांकन की तुलना में नियमित उपस्थिति दर केवल 68% रही, जो एक चिंता का विषय है। इसका अर्थ है कि लगभग 32% बच्चे जो नामांकित हैं, वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बच्चों की उपस्थिति दर 62% थी, यह कमी मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है। बच्चों को अधिकतर घर के कामों में मदद करने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर कुछ बच्चों को कृषि कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका स्कूल आना कम हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में उपस्थिति दर थोड़ी अधिक 76% रही, जो संकेत देती है कि शहरी क्षेत्रों में बच्चों की नियमित उपस्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, शहरी इलाकों में भी कुछ बच्चों की उपस्थिति में कमी देखी गई है, जिसका कारण सामाजिक-आर्थिक तनाव और परिवारों की व्यस्त दिनचर्या हो सकता है।

तालिका 2: नामांकन और उपस्थिति दर

क्षेत्र	कुल बच्चे (संख्या)	नामांकित बच्चे (%)	नियमित उपस्थिति वाले बच्चे (%)
ग्रामीण क्षेत्र	120	100 (83%)	75 (62%)
शहरी क्षेत्र	80	70 (87%)	61 (76%)
कुल	200	170 (85%)	136(68%)

अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन दर उच्च है, जो यह संकेत करता है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने बच्चों को विद्यालयों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यह संख्या केवल बच्चों के नामांकन को दिखाती है, उपस्थिति और शैक्षिक गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपस्थिति दर में अपेक्षाकृत गिरावट चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कम उपस्थिति दर यह दर्शाती है कि कुछ बाहरी दबाव (जैसे श्रमिक कार्य, घरेलू कामकाजी जिम्मेदारियाँ, और शैक्षिक जागरूकता की कमी) बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होने से रोकते हैं। शहरी क्षेत्रों में नामांकन और उपस्थिति दर थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी यह आदर्श स्थिति नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी बच्चों को शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए और उपायों की आवश्यकता है।

ड्रॉपआउट दर

ड्रॉपआउट दर वह प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कितने बच्चे प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया को छोड़कर स्कूल नहीं जाते या बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह दर उन बच्चों की संख्या को मापने के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। इस अध्ययन में पाया गया कि कुल मिलाकर 15% बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ दी। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर 18% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 10% रही। यह संकेत करता है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर शहरी इलाकों की तुलना में अधिक है।

तालिका 3: ड्रॉपआउट दर

क्षेत्र	कुल बच्चे (संख्या)	ड्रॉपआउट बच्चे (%)
ग्रामीण क्षेत्र	120	22 (18%)
शहरी क्षेत्र	80	8 (10%)
कुल	200	30 (15%)

ग्रामीण इलाकों में 18% ड्रॉपआउट दर पाई गई। इस क्षेत्र में बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कई प्रमुख कारण हैं:

- आर्थिक कठिनाइयाँ:** अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों को जल्दी कामकाजी जीवन में धकेल दिया जाता है। इन परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा की बजाय उनके योगदान की आवश्यकता ज्यादा होती है।
- घरेलू जिम्मेदारियाँ:** बच्चों को घर के कामों में मदद करने या खेती-बाड़ी में हाथ बंटाने के लिए मजबूर किया जाता है। विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह चुनौती और बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए शिक्षा से दूर रहना पड़ता है।
- सामाजिक भेदभाव और असमानताएँ:** शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और समर्थन की कमी होती है।

अनुसूचित जाति के बच्चों को अक्सर सामाजिक भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि घटती है और वे जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं।

4. **शिक्षा की कम गुणवत्ता:** ग्रामीण स्कूलों में संसाधनों की कमी, गुणवत्ता की कमी, और योग्य शिक्षकों की अनुपस्थिति भी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है।

शहरी क्षेत्रों में 10% ड्रॉपआउट दर पाई गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम है। हालांकि, यह दर भी अधिक है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में बच्चों के ड्रॉपआउट की कुछ प्रमुख वजहें:

1. **सामाजिक और पारिवारिक दबाव:** शहरी क्षेत्रों में भी, बच्चों को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षा के बारे में अधिक उम्मीदें, जो कभी-कभी बच्चों को निराश कर सकती हैं।
2. **आर्थिक दबाव:** शहरी क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों में, बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, खासकर जब परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
3. **शिक्षा की गुणवत्ता:** शहरी क्षेत्रों में भी कुछ स्कूलों में गुणवत्ता की कमी है, जो बच्चों को निराश करती है और उन्हें शिक्षा छोड़ने की प्रेरणा देती है।

इस क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर अधिक (18%) पाई गई, जो यह संकेत देती है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों को शिक्षा छोड़ने के लिए कई बाधाएँ और मजबूरियाँ हैं। आर्थिक और सामाजिक कारण प्रमुख हैं, जिनमें घरेलू जिम्मेदारियाँ और कामकाजी जरूरतें शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में यह दर कम (10%) पाई गई, जो शहरी स्कूलों की बेहतर सुविधाएँ, अधिक जागरूकता, और शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। हालांकि, यहाँ भी सामाजिक-आर्थिक दबावों का प्रभाव है, जो ड्रॉपआउट दर को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहा है। इस अध्ययन में कुल 15% ड्रॉपआउट दर पाई गई, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, सामाजिक भेदभाव, और शैक्षिक संरचनाओं की कमजोरी है।

· शैक्षणिक प्रदर्शन

शैक्षणिक प्रदर्शन वह पैमाना है, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से अपनी कक्षा की सामग्री को समझते हैं और उसमें कितने दक्ष हैं। इस अध्ययन के अनुसार, अनुसूचित जाति के बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से नीचे पाया गया।

तालिका 4: शैक्षणिक प्रदर्शन

प्रदर्शन स्तर	बच्चों की संख्या	प्रतिशत (%)
औसत से ऊपर प्रदर्शन	90	45%
औसत से नीचे प्रदर्शन	110	55%
कुल	200	100%

इस अध्ययन में पाया गया कि 55% बच्चे औसत से नीचे प्रदर्शन कर रहे थे, जो अन्य समुदायों के बच्चों से कम था। विशेष रूप से भाषा (Hindi/Regional Language) और गणित जैसे प्रमुख विषयों में बच्चों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया। इसका प्रमुख कारण शैक्षिक संसाधनों की कमी, उपयुक्त शिक्षण विधियों की कमी और बच्चों के मानसिक विकास की दिशा में अव्यवस्थित प्रयास हो सकते हैं।

इस प्रदर्शन को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति के बच्चों को विशेष शैक्षिक सहायता, सपोर्टिव वातावरण और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है ताकि वे अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

हालाँकि, 45% बच्चे औसत से ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, जो सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि कुछ बच्चों ने, जो बेहतर शैक्षिक वातावरण में पले-बढ़े, वे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हुए। इसके बावजूद, यह आंकड़ा कुल बच्चों का आधा से भी कम है, जो एक चुनौती है।

प्रदर्शन में सुधार के लिए छात्रों को संवेदनशील शैक्षिक सामग्री, प्रेरणा और सकारात्मक प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

बुनियादी सुविधाएँ शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह बच्चों की पढ़ाई में रुकावट डाल सकती है और उनके मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस अध्ययन में शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और खेल सामग्री जैसी सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

तालिका 5: बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

सुविधा प्रकार	सुविधा उपलब्ध स्कूलों की संख्या	प्रतिशत (%)
शौचालय	150	75%
स्वच्छ पेयजल	130	65%
पुस्तकालय सुविधा	80	40%
खेल सामग्री	70	35%

75% स्कूलों में शौचालय सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन यह अनुपलब्धता खासकर लड़कियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। लड़कियों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय की अनुपस्थिति के कारण स्कूल में आना और नियमित रूप से पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। जब लड़कियों को यह सुविधा नहीं मिलती, तो वे अक्सर स्वच्छता की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं या कभी-कभी विद्यालय आने से बचती हैं। 65% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध था, लेकिन कई स्कूलों में यह पानी साफ नहीं था या पानी की पहुंच विद्यार्थियों तक सुलभ नहीं थी। स्वच्छ पेयजल की कमी से बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो उनकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। 40% स्कूलों में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी, और यह आंकड़ा बच्चों के अध्ययन और शोध के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन की कमी को दर्शाता है। पुस्तकालय का अभाव बच्चों के पढ़ाई में रुचि को घटाता है और उन्हें आवश्यक शैक्षिक सामग्री प्रदान करने में अड़चन उत्पन्न करता है। यह कमी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। 35% स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध थी, जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है। खेल गतिविधियाँ बच्चों के समूह कार्य, टीम भावना और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। खेलों के अभाव से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में कमी हो सकती है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सागर जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में यद्यपि नामांकन दर में सुधार हुआ है, फिर भी नियमित उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर में कमी, शैक्षणिक उपलब्धि, और विद्यालयों की आधारभूत संरचना के संदर्भ में अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नामांकन दर 85% होने के बावजूद उपस्थिति दर केवल 68% और ड्रॉपआउट दर 15% होना इस बात का प्रमाण है कि बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए केवल नामांकन पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयाँ, घरेलू जिम्मेदारियाँ और सामाजिक भेदभाव शिक्षा में बड़ी बाधाएँ बने हुए हैं। विद्यालयों में शौचालय, स्वच्छ जल, पुस्तकालय और खेल सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं का आंशिक अभाव बच्चों की शिक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। अनुसूचित जाति के बच्चों की सतत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने, शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहतर बनाने, तथा बच्चों और अभिभावकों के बीच शिक्षा के प्रति विश्वास और महत्व को बढ़ावा देने के लिए ठोस एवं सतत प्रयास आवश्यक हैं। तभी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ

1. वर्मा, डी. एन., और दीक्षित, आर. एस. (1988)। "यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी के व्यावसायिक ढांचे में महिलाओं का स्थान," डी. मौर्य, एड., वीमेन इन इंडिया में। दिल्ली: चुघ प्रकाशन। पृ. 181-188।
2. मदप्पा, डी. (2012)। कर्नाटक में प्राथमिक शिक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों का विकास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, 2(10), 16-29।
3. पंडागले, जी. आर. (2015)। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा प्रगति की समीक्षा। सोशल आईओएन, 4(1और2), 83-93.4
4. चहल, डी., और कुमार, आर. (2017)। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के माता-पिता का अपने बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण को समझना। अंतःविषय अध्ययनों के लिए विद्वत्तापूर्ण शोध पत्रिका, 4 (31) 5385-53-92। आईएसएसएन-2278, 8808.
5. आचार्य, एस., और साहू, एच. (2019). भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच शिक्षा. इंडोनेशियाई जर्नल ऑफ जियोग्राफी, 51(3), 393-405.
6. राउत, बी. सी. (2020). भारत में अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा: साहित्य की समीक्षा. भारत में शिक्षा और जाति, 23-40.
7. रॉय, एस., और कुमार, ए. (2018). अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच शैक्षिक आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ: भारत के उत्तर प्रदेश का एक अध्ययन. जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल साइंसेज, 3(5), 389-694.
8. चटर्जी, आई., ली, आई., और रॉबिटेल्, एम. सी. (2018). भारत की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा नीतियों और परिणामों का अवलोकन 2005-2011. विश्व विकास, 106, 99-110.
9. शर्मा, एम.एल., और हुसैन, ए. (2019)। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों में स्कूल की तत्परता में जाति और लिंग की भूमिका। जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च एंड पॉलिसी, 10(1)।
10. गवास, वी.एम. (2018)। भारत के संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार और अनुसूचित जनजातियों के बीच विकास: एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन।
11. जोजो, बी., और भोई, डी. (2018)। अनुसूचित जनजाति के बच्चे और उनकी शैक्षिक पहुँच: महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा से साक्ष्य। भारत में विचार, लोग और समावेशी शिक्षा, 71-96।